

10/9/22  
हनु समय पाहा। पत्रावली में  
71 की अधि आगामी पेशी एक  
बारी जाती है। पत्रावली वास्तु  
बहस निंबांक 20/09/22 को पेशी  
5

20/9/22

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस  
एकपक्षीय सुनी गरी प्राची अधिवक्ता  
द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रकरण  
में जारी अस्थायी निष्पत्ता को मूलवाद  
के निवेदि तक स्थायी किया जावे।  
प्राची अधिवक्ता को सुना गया व

दिनांक ..... बनाव .....  
 क्रमा संख्या ..... अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही भव्य हस्ताक्षर जज	नम्बर जो पात
--------	-------------------------------------	--------------------

पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
 अस्थापी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही  
 के आदेश हैं। लिहाजा प्राची का प्राथमिक  
 पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भली-भांति  
 साबित होने पर स्वीकार किया जाकर  
 प्रकरण में जारी दिनांक 01/01/2021  
 की अस्थापी विधिवतानुसार मूलवाद के  
 विधि तक स्थापी की जाती है। पत्रावली  
 निगति होकर नम्बर से कम होकर  
 मूलवाद के साथ सलग्न हो।



⑤  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर